**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1825**

**शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**देश में पेटेंट**

**1825. श्री ए.के. सेल्वाराजः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश को पेटेंट के संबंध में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि हम बहुत से देशों से पीछे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में 6,00,000 लोगों की जनसंख्या पर एक पेटेंट ही दर्ज किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ग):** विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) संकेतक 2019 में प्रकाशित वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार, भारत वर्ष 2018 में दायर 50055 आवेदनों के साथ पेटेंट आवेदन दायर करने के मामले में 7वीं रैंक पर है। यदि सिर्फ स्वदेशी आवेदकों द्वारा दायर पेटेंट को ध्यान में रखा जाए तो भारत में 70429 लोगों की जनसंख्या पर एक पेंटेट आवेदन दायर किया गया है। तथापि, सरकार ने पेटेंट दायर किए जाने में सुधार लाने के लिए कई कदम आरंभ किए/उठाए हैं जोकि निम्नानुसार हैः

* राष्ट्रीय आईपीआर नीति को 12 मई, 2016 को बनाया गया था जिसके तहत आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) स्थापित किया गया ताकि बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रित कार्रवाई, बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रक्रियाओं को सरल और सुचारू बनाने में सहायता तथा आईपीआर जागरुकता बढ़ाने के लिए कदम उठाया जाना सुनिश्चित करने की कार्रवाई पर बल दिया जा सके।
* सीआईपीएएम ने औद्योगिक संघों, विश्व विद्यालयों, एमएसएमई, विधिक निकायों, सीमा शुल्क, डब्ल्यूआईपीओ के साथ सहयोग करते हुए आईपीआर के सृजन, संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में शैक्षिणिक संस्थान, उद्योगों में और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अब तक 2000 से अधिक जागरुकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमीनारों का आयोजन किया है।
* इसी प्रकार, महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क (सीजीपीडीटीएम) कार्यालय ने उद्योग संघों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालय, विद्यालयों, स्टार्टअप्स, नवप्रयोग केन्द्रों/एमएसएमई/औद्योगिक क्लस्टरों और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए मार्च, 2018 से 189 आईपी जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
* राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईपीएम) को आईपीआर प्रशिक्षण, जागरुकता शिक्षा और अनुसंधान का कार्य करने के लिए सीजीपीडीटीएम कार्यालय के अंतर्गत एक विशेषीकृत संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। आरजीएनआईपीएम आईपीआर में सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और डब्ल्यूआईपीओ के सहयोग से डब्ल्यूआईपीओ-इंडिया समर स्कूल आयोजन करता है। आरजीएनआईपीएम ने हितधारकों के लाभ के लिए विभिन्न समयावधि के 117 सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा 22 जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।
* स्टार्टअप्स द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों के लिए और ऐसे आवेदक जिन्होंने अपने पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) आवेदन के लिए अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण/अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक जांच प्राधिकरण (आईएसए/आईपीईए) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय का चयन किया है, के आवेदनों की शीघ्र जांच करने की सुविधा की अनुमति दी गई है। हाल ही में, छोटी कम्पनियों और आवेदकों की अन्य 7 श्रेणियों द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों को शीघ्र जांच प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा 392 पेटेंट एजेंटों (पेटेंट सुविधा प्रदायकों) के एक पैनल को नामित किया गया है जो पेटेंट आवेदनों को तैयार और उन्हें दायर करने में और इसके पश्चात पेटेंट कार्यालय के समक्ष आवेदनों के अभियोजन स्तर पर स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करेंगे।
* स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की पहल के अंतर्गत, पेटेंट के लिए स्टार्टअप आवेदकों को बड़ी कम्पनी की तुलना में आवेदन दायर करने तथा सभी अन्य सांविधिक शुल्कों में 80 प्रतिशत शुल्क रियायत प्रदान की गई है। स्टार्टअप्स के बीच आईपीआर संरक्षण को बढ़ावा देने और उनके आईपी आवेदनों को दायर करने और प्रोसेस करने के लिए स्टार्टअप्स को सुविधाप्रदायक उपलब्ध कराने के लिए “स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा सुरक्षा सुविधा स्कीम (एसआईपीपी)” शुरू की गई है। एसआईपीपी के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा सुविधा प्रदायकों के पेशेवर प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्‍यवस्‍था को और अधिक अनुकूल और सहायक बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न पहलें की हैं; जिनमें विधायी सुधार; आईपी ​​कार्यालयों का आधुनिकीकरण; जनशक्ति वृद्धि; आईटी और प्रौद्योगिकी का उपयोग, पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग; आवेदनों की ई-फाइलिंग; सभी आईपीओ कार्यों में ईमेल की स्वीकृति; डिजिटल प्रारूप में पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन प्रदान करने/पंजीकरण प्रमाण पत्र की ऑनलाइन डिलीवरी; वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग, एसएमएस अलर्ट, डायनामिक वेबसाइट और सूचना का प्रचार-प्रसार; तीव्र जांच; आईपीआर में जागरूकता फैलाना, डब्ल्यूआईपीओ की कार्यान्वित संधियों तक भारत की पहुंच; दिसंबर, 2019 में जापान के साथ पायलट पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाइवे (पीपीएच) परियोजना पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा उठाए गए कदमों का प्रभाव निम्नानुसार हैः-

* नए ट्रेडमार्क्स आवेदनों की जांच की अवधि 13 माह से घटकर वर्तमान में 30 दिन से कम हो गई है।
* ट्रेडमार्क का पंजीकरण, यदि कार्यालय की ओर से कोई आपत्ति या प्रतिरोध दर्ज नहीं किया जाता है तो, 7 माह से कम समय में कर दिया जाता है, इसकी तुलना में पहले इसमें 3-5 वर्ष लगते थे।
* पिछले 75 वर्षों (1940-2015) के दौरान 11 लाख पंजीकरणों की तुलना में महज साढ़े चार वर्षों में (2015 से 2019) 11.25 लाख ट्रेडमार्क पंजीकरण किए गए।
* पेटेंट जांच की संख्या 2014-15 के दौरान 22631 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक 85426 हो गई है।
* पेटेंट की जांच में लगने वाला समय 2014-15 के 72 माह के औसत से घटकर वर्तमान में यह औसत लगभग 36 माह हो गया है।
* 2014-15 में पेटेंट प्रदान करने की संख्या 5978 से बढ़कर 2018-19 में 15283 हो गई है।
* पेटेंट्स में आवेदनों की ई-फाइलिंग 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है।

\*\*\*\*\*